भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2836** जिसका उत्तर

गुरूवार, 05 **दिसम्बर**, 2019/14 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है

जलमार्ग विकास परियोजना

2836. श्री मोहनभाई कुंडारियाः

श्री जी. सेल्वमः

श्री सोयम बापू रावः

श्री धनुष एम. कुमारः

श्री विजय कुमार दुबेः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जलमार्ग -1 पर नौवहन क्षमता के संवर्धन के लिए जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक द्वारा कितनी धनराशि जारी की गई है और कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत कवर किए जा रहे राज्यों के नाम क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) जेएमवीपी के अंतर्गत विभिन्न जारी परियोजनाओं के पूरा होने पर सृजित होने वाले अनुमानित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि जेएमवीपी के अंतर्गत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से और गुणवत्तापूर्ण रूप से निष्पादित किया जाए?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): जी, हां। विश्व बैंक की तकनीकी और आर्थिक सहायता से गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया-वाराणसी जलखंड पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) पर नौचालन के क्षमता संवर्धन के लिए 5369.18 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की मुख्य विशेषतायें विभिन्न अवसंरचनाओं का विकास जैसे वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया पर मल्टीमॉडल टर्मिनलों का निर्माण, रो-रो टर्मिनल, फरक्का पर नौचालन लॉक, चैनल मार्किंग प्रणालियां, एकीकृत जलयान

मरम्मत और रखरखाव सुविधायें, डीजीपीएस और नदी सूचना प्रणाली की स्वचालित सूचना तकनीक, दिन और रात की नौचालन सहायतायें, स्लिपवे, बंकरिंग सुविधायें, नदी प्रशिक्षण और नदी संरक्षण कार्य हैं। वैधानिक अनुमतियां प्राप्त होने के बाद तीन वर्षों की समयावधि में 1800 करोड़ रु. (लगभग) की परियोजनायें वास्तविक रूप से शुरू हो गई हैं।

ऋण सं. 8752-आईएन, जेएमवीपी के लिए विश्व बैंक का अब तक संवितरण 605.84 करोड़ रु. है (सीएएए, डीईए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संवितरण रजिस्टर के अनुसार) जेएमवीपी पर दिनांक 31.10.2019 तक 1443.52 करोड़ रु. का व्यय हुआ है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
व्यय (करोड़ रु.)	2.78	141.52	301.92	348.53	427.03	221.74 (दिनांक 31.10.2019 तक)

(ग) से (ङ) : राष्ट्रीय जलमार्ग-1 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है और इस तरह इन चारों राज्यों को जेएमवीपी में सम्मिलित किया गया है। परियोजना का मूल्यांकन करने और महत्वपूर्ण दिशानिर्देश देने के लिए सितंबर, 2014 में एक परियोजना निगरानी समिति (पीओसी) गठित की गई थी, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। जेएमवीपी के पूरा हो जाने के बाद 46000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और 84000 व्यक्तियों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। रा.ज.-1 पर नौचालन के क्षमता संवर्धन के लिए जलमार्ग विकास परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन का तंत्र **अनुबंध** में दिया गया है।

अनुबंध

रा.ज.-1 पर नौचालन की क्षमता वृद्धि के लिए जलमार्ग विकास परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन का तंत्र।

(1) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निम्न के द्वारा (आईडब्ल्यूएआई) परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है-

- महत्वपूर्ण परियोजना स्थलों पर परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (पीआईयू)। पीआईयू द्वारा निर्धारित प्रारूपों में आईडब्ल्यूएआई मुख्यालय को मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं।
- आईडब्ल्यूएआई मुख्यालय में परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं (मेसर्स पीडब्ल्यूसी) तथा पीएमयू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जाता है।
- परियोजना निदेशक और परियोजना प्रबंधक द्वारा परियोजना स्थलों पर स्थापित सीसीटीवी नेटवर्क तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजना की वास्तविक समय पर (रियल टाईम) निगरानी की जाती है।
- आईडब्ल्यूएआई मुख्यालय में तथा साथ ही परियोजना स्थलों पर ठेकेदारों के साथ समय-समय पर परियोजना समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(2) विश्व बैंक निम्न के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी करता है-

- परियोजना स्थलों के लिए परियोजना कार्यान्वयन मिशन।
- परियोजना प्रबंधन और परामर्शदाताओं / ठेकेदारों के साथ बैठकों में आवधिक सामयिक चर्चा, जहां खरीद का अनुपालन, सामाजिक और पर्यावरण सुरक्षा के दिशा निर्देशों और सिविल निर्माण ढांचे पर चर्चा की जाती है और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कार्य बिंदुओं की पहचान की जाती है।
- सामाजिक और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन पर नियमित मासिक प्रगति रिपोर्ट भी समीक्षा के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की जाती है।

(3) डीईए (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा विश्व बैंक और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (आईडब्ल्यूएआई) के साथ समय-समय पर त्रिपक्षीय परियोजना समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए कार्य बिन्दुओं पर सहमति दी जाती है।

(4) परियोजना के मूल्यांकन और महत्वपूर्ण दिशानिर्देश देने के लिए सितंबर, 2014 में एक परियोजना निगरानी समिति (पीओसी) गठित की गई थी, जिसमें आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष / अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य; पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि; केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि; तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे। पीओसी की दस बैठकें पहले ही हो चुकी हैं और परियोजना कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर पीओसी ने विचार-विमर्श किया है।

(5) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त अनापत्तियों के मामले में, पर्यावरण सुरक्षा उपायों के अनुपालन पर नियमित रिपोर्ट उस मंत्रालय को भेजी जाती है।

*****